न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 52/2025

अनवान : –

1. भरथोदेवी पत्नी दीवानसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

:–प्रार्थीया

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :–श्री धर्मपाल बेरवाल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 02/05/2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं0 71/66 के मु0 न0 19 के किला न0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 20 के किला न0 10, 11 कुल 2.5300है0 खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का सही नाम भरथोदेवी पत्नी दिवानसिंह के स्थान पर अशुद नाम भरपाई पत्नी दिवानसिंह दर्ज है

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एंव वास्तविक नाम भरथोदेवी पत्नी दिवानसिंह दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब व रिपोर्ट पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं0 71/66 के मु0 न0 19 के किला न0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 20 के किला न0 10, 11 कुल 2.5300है0 खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का सही नाम भरथोदेवी पत्नी दिवानसिंह के स्थान पर अशुद नाम भरपाई पत्नी दिवानसिंह दर्ज है अतः प्रार्थीया का अशुद्व नाम भरपाई पत्नी दिवानसिंह के स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम भरथोदेवी पत्नी दिवानसिंह दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थीया अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:06:47 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं0 71/66

...ाट निवासीगण चिडि...

गांव —

के मु0 न0 19 के किला न0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 20 के किला न0 10, 11 कुल 2.5300है0 खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भरपाई पत्नी दिवानसिंह की जगह सही नाम भरपाई उर्फ भरथोदेवी पत्नी दीवानसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि भरपाई पत्नी दिवानसिंह के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम भरपाई पत्नी दिवानसिंह ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 2/5/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:06:47 IST
Reason: SelfAttested